



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 7, सोमवार, शाके 1934-मई 28, 2012  
Jyaishta 7 Monday, Saka 1934-May 28, 2012

भाग 1 (क)

नियुक्तियां छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में समस्त विज्ञापितियां।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 16, 2012

संख्या प. 27(31)पर्या/78 पार्ट :- कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा क्र. प.5(3)/क-1/2008 दिनांक 12-11-2009 द्वारा डॉ. दीप नारायण पाण्डेय, आई.एफ.एस. की सेवायें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव पद हेतु दी गई हैं।

अतः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-6) की धारा 4(2)(घ)के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. डी.एन. पाण्डेय, आई.एफ.एस. को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उनके कार्यभार संभालने की तिथि 14-09-2009 से सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पद पर नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

गधुसूदन तियाड़ी,

शासन उप सचिव।

27

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार  
पर्यावरण विभाग

क्रमांक : प.27(31)पर्या/78 पार्ट-II

जयपुर दिनांक

19 JUN 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, पर्यावरण मंत्री, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट सहायक समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्रीगण/राजस्थान जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा संख्या प. 5(3)कार्मिक/क-1/2008 दिनांक 12.11.2009 के क्रम में।
7. निजी सचिव, पर्यावरण सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
9. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य गण।
10. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3)विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय जयपुर।
12. सचिव पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार लोदी रोड नई दिल्ली।
13. अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नई दिल्ली।

शासन उप सचिव